इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,
भोपाल

फा.क्र.6–1/2023 त.स.
दिनांकः 29.11.2023

आदेश

संग्रहालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओ हेतु दरे। ये दरे आज दिनांक से लागू होंगी।

क.	स्थल/सुविधा	दर (प्रति दिन/प्रति घंटा) रू.
1	शैलकला भवन का सभाकक्ष (पी.ए सिस्टम, एसी, प्रोजेक्शन सुविधा के साथ) •अधिकतम क्षमता 40 व्यक्ति	7000/–प्रतिदिन प्रवेश शुल्क सहित
2	वीथि संकुल स्थित एम्फीथियेटर •अधिकतम क्षमता 200 व्यक्ति	5000/–प्रतिदिन • प्रवेश शुल्कसहित
3	आवृत्ति मुक्ताकाश आंगन अधिकतम क्षमता 500 व्यक्ति	5000/–प्रतिदिन प्रवेश्र शुल्क सहित
4	आवृत्ति के पीछे का प्रांगण अधिकतम क्षमता 200 व्यक्ति	5000/–प्रतिदिन प्रवेश शुल्क सहित
5	तटीय गॉव परिसर स्थित एम्फीथियेटर अधिकतम क्षमता 100 व्यक्ति	5000/–प्रतिदिन प्रवेश शुल्क सहित
6	फोटोग्राफी हेतु स्वयं के उपयोग हेतु लायेग ये साधारणकैमरा/हैंडीकेम (बिना ट्राईपॉड)	100/–प्रतिदिन
7	कैमरा/वीडियो कैमरा ट्रायपोड के साथ (स्वयं के उपयोग हेतु)	1000/–प्रतिदिन
8	प्रीवेडिंग/मॉडल शुटिंग/कमर्शियल फोटो/ वीडियो शूट/ पोर्टफोलिया शूट बगैरड्रोन दल के सभी सदस्यों को प्रवेश हेतु टिकिट लेना अनिवार्य होगा।	5000/–प्रतिदिन (प्रातः 6 से सायं 6 बजे तक)
9	प्रीवेडिंग/ मॉडल शुटिंग/ कमर्शियल फोटो/ वीडियो शुट/ पोर्टफोलियो शुट ड्रोन सहित (ड्रोन परिचालन हेतु लायसेंस एवं स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी) दल के साथ सदस्यों को प्रवेश हेत टिकिट लेना अनिवार्य होगा।	6000/–ड्रोन कैमरा के साथ (ड्रोन परिचालन हेतु लाइसेन्स एवं स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी)
10	•डाक्यूमेंटरी शूटिंग/ टैलि विजन हेतु शुट •शुटिंग से संबंधित सामग्री के लाने एवं ले जाने का समय भी इसमें सम्मिलित है।	10000/–प्रतिदिन प्रातः 6 से सांय 6 बजे तक केवल सुरक्षानिधि रू.10000/–जमा करनी होगी जो रिफंडेबल होगी।
11	• फीचर फिल्म/ ओ.टी.टी. वेब सीरिज • शूटिंग से संबंधित सामग्री के लाने एवं ले जाने इत्यादि का समय भी इस में शामिल है।	50000/–प्रतिदिन प्रातः 6 से सांय 6 बजे तक कुल 12 घंटे के लिये सुरक्षानिधि रू.50000/– (रिफंडेबल)

नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी।

1. उपरोक्त अनुसार विभिन्न स्थलों को किराये पर लेने व फिल्म/OTT/Web series आदि की शूटिंग हेतु एक आवेदन पत्र कार्यक्रम की तिथि से लगभग एक सप्ताह पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र संग्रहालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है। इसे भर कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

2. पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत ही अनुमति/आबंटन पत्र जारी किया जायेगा।

3. कलाकारों के बैठने के लिए अस्थाई टेंट एवं वाहनों की पार्किंग हेतु सुरक्षाकर्मी के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

4. बुक किये गये स्थानों पर उपलब्ध सामग्री/उपकरणों इत्यादि में यदि कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो वर्तमान बाजार मूल्य पर राशि हर्जाना जायेगा।

5. प्रदर्शनी स्थलों में किसी तरह के परिवर्तन करने, प्रादर्शों को स्थानांतरित करने आदि की अनुमति नहीं है। कोई भी बाहरी सामग्री जैसे पानी, तेल, ग्रीस या इसी तरह की वस्तु उसके किसी भी हिस्से पर नहीं लगाया जाएगा।

6. प्रदर्शनी स्थल पर आग जलाना, धुआं करना व रंग/गुलाल का उपयोग वर्जित है।

7. कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे संग्रहालय की किसी वस्तु/कलाकृतियों या उसके किसी भाग को क्षति पहुंचे। किसी भी क्षति/हानि के मामले में, फिल्मांकन के लिए जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस के अलावा, लाइसेंसधारी को किसी भी प्रादर्श/कलाकृतियों की क्षति, चोट या हानि से उत्पन्न होने वाले ऐसे किसी भी दावे का निपटान करना होगा।

8. शूटिंग/स्थल आबंटन हेतु सहमति पत्र दिये जाने के बाद शुल्क राशि का भुगतान नगद/चेक/बैंक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संग्रहालय के रोकड़ अनुभाग में जमा कर रसीद प्राप्त होने के उपरान्त ही स्थल का आबंटन किया जायेगा। चेक/बैंक ड्राफ्ट निदेशक, इंगारामासं के नाम देय होगा। बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है। Name of Account holder: Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, Accont No. 10026515042, Bank Name: State Bank of India, Branch: RCE Campus, Bhopal, IFSC Code: SBIN0002889 शुल्क ऑनलाइन जमा किये जाने की स्थिति में आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त रसीद की पुष्टि संग्रहालय के लेखा अनुभाग से कराकर जमा करानी होगी।

9. सभी प्रकार की स्वीकृति संग्रहालय के बुनियादी नियमों एवं शर्तों के साथ ही दी जायेंगी।

10. शूटिंग हेतु ड्रोन के प्रयोग की अनुमति एस.डी.एम./स्थानीय प्रशासन से लेने के पश्चात संग्रहालय में प्रस्तुत करनी होगी जिसके आधार पर संग्रहालय मेंड्रोन शूटिंग की अनुमति दी जासकेगी।

11. फोटोग्राफी और फिल्मांकन संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में ही किया जाएगा।

12. फोटोग्राफी और फिल्मांकन के दौरान दर्शकों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रहेगी। शूटिंग के दौरान प्रदर्शनियों, प्रवेश द्वारों/निकासों, दरवाजों, रास्तों और उच्च यातायात क्षेत्रों की पहुंच को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।

13. फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम मे इंगारामासं को उचित रूप से टाईटल में स्थान/ ऑनस्क्रीन एण्ड क्रेडिट प्रदान की जानी होगी।

14. आवेदक को फोटो–पहचान प्रमाण अधिमानतः पासपोर्ट/आधिकारिक आई डी/मतदाता पहचान पत्र/ आधार/ड्राइविंग लाइसेंस, आदि प्रस्तुत किए जाने होगे।

15. यह संबंधित व्यक्ति और/ या फिल्म निर्माण इकाई की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि छायाचित्र या फिल्म किसी व्यक्ति, समूह, जाति, धर्म, मत, संप्रदाय या तत्सम किसी भी के संबंध में कोई विवादास्पद, तथा ऐसी टिप्पणी, जो किसी के विपरीत हो, भावनाओं को आहत करती हो, का समावेश न किया जाये।किसी भी व्यक्ति के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गोपनीयता या प्रचार का उल्लंघन नही करती हो, किसी भी कानून, नियम, कोड और दिशानिर्देश का उल्लंघन नही करती हो। इंगारामासं का पूर्वगामी मामलों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या दायित्व नही होगा।

16. इंगारामासं की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रचार सामग्री में संग्रहालय के संदर्भ में कोई प्रेसविज्ञप्ति जारी नही की जाएगी।

17. स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से शूटिंग की अनुमति की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(हेमंत बहादुर सिंह परिहार)
प्रशासनिक अधिकारी